



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 भाद्र 1943 (श0)

(सं0 पटना 726) पटना, बुधवार, 25 अगस्त 2021

गन्ना उद्योग विभाग

आदेश

23 अगस्त 2021

सं० 02/रेगु-2-800-04/2019-1346—बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम-1981 की धारा-27(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, गिरिवर दयाल सिंह, ईखायुक्त, बिहार नीचे उल्लिखित राज्य की चीनी मिलों के लिए पेराई सत्र 2021-2022 के निमित्त अपेक्षित ईख की मात्रा (Normal Cane Requirement-NCR) उनके नाम के सामने अंकित रूप में निर्धारित करता हूँ :-

क्र. सं.	चीनी मिल का नाम	जिला का नाम	पेराई वर्ष 2021-22 के लिए अपेक्षित ईख की मात्रा (लाख क्विंटल में)
1	2	3	4
1	हरिनगर सुगर मिल्स लि०, हरिनगर	पश्चिमी चम्पारण	147.45
2	तिरुपति सुगर्स लि०, बगहा	पश्चिमी चम्पारण	102.35
3	मगध सुगर एण्ड इनर्जी लि०, यूनिट-न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज	पश्चिमी चम्पारण	99.00
4	मंजौलिया सुगर इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, मंजौलिया	पश्चिमी चम्पारण	60.00
5	विष्णु सुगर मिल्स लि०, गोपालगंज	गोपालगंज	4949.00.00
6	मगध सुगर एण्ड इनर्जी लि०, यूनिट-भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया गोपालगंज	गोपालगंज	57.94
7	रीगा सुगर कम्पनी लि०, रीगा, सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	27.00
8	मगध सुगर एण्ड इनर्जी लि०, यूनिट-हसनपुर सुगर मिल्स, हसनपुर	समस्तीपुर	77.55
9	एच0पी0सी0एल0 बायोफ्यूल्स लि०, सुगौली इकाई, पूर्वी चम्पारण	पूर्वी चम्पारण	44.03

क्र. सं.	चीनी मिल का नाम	जिला का नाम	पेराई वर्ष 2021-22 के लिए अपेक्षित ईख की मात्रा (लाख विंटेनल में)
1	2	3	4
10	एच0पी0सी0एल0 बायोफ्यूल्स लि०, लौरिया इकाई, प० चम्पारण	पश्चिमी चम्पारण	41.65
	कुल :		579.42

आदेश से,
गिरिवर दयाल सिंह,
ईखायुक्त, बिहार।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 726-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>